

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 613] No. 613] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 8, 2017/आषाढ़ 17, 1939

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 8, 2017/ASADHA 17, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2017

# सं. 65/2017-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 850(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

## उक्त अधिसूचना में,—

(i) सारणी में, क्रम सं. 547 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:—

"547A	88 या अन्य	एयरक्राफ्ट, एयर क्राफ्ट इंजन या एयर क्राफ्ट के	-	शून्य	102"
	कोई अध्याय	अन्य हिस्से जिसको केन्द्रीय माल एवं सेवा कर			
		अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के मद 1(ख) या			
		5(च) में आने वाले संव्यवहार के अंतर्गत भारत में			
		आयात किया गया हो।			

4245 GI/2017 (1)

(ii) अनुबंध में शर्त सं. 101 के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:—

शर्त सं.	शर्त		
"102		आयातकर्ता उस फॉर्म में जिसे कि आयुक्त, सीमा शुल्क विनिर्दिष्ट करे, एक बंधपत्र जारी करके स्वयं को निम्न के प्रतिबद्ध करता हो, -	
	(i)	उन सेवाओं की आपूर्ति पर आईजीएसटी, 2017 की धारा 5 (1) के अंतर्गत लगने वाले एकीकृत कर का भुगतान करने के लिए जो कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, की अनुसूची $II$ के मद 1 (ख) या $5(च)$ के अंतर्गत आती हों;	
	(ii)	आयात वाले पत्तन के सीमा शुल्क आयुक्त की पूर्व अनुमित के बिना माल को न तो बेचना न किसी को देना;	
	(iii)	ऐसे माल का उस अवधि की समाप्ति के 3 महीने के भीतर पुन: निर्यात करना जिस अवधि के लिए उनकी केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची II के मद 1(ख) या 5(च) के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के तहत भारत के बाहर से आपूर्ति की गई हो;	
	(iv)	उपर्युक्त किसी भी शर्त के पूरा न होने पर इस अधिसूचना के अंतर्गत दी गई छूट के सिवाय उक्त माल पर लगने वाले एकीकृत कर के बराबर की राशि का माग किए जाने पर भुगतान करना।"	

[फा. सं. 354/134/2017- टीआरयू] प्रमोद कुमार, उप सचिव

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th July, 2017

## No. 65/2017-Customs

**G.S.R. 850(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of Section 3, of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 50/2017-Customs dated the 30<sup>th</sup> June 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, namely:—

In the said notification,—

(i) in the Table, after S. No. 547 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"547A	88 or any other	Aircrafts, aircraft engines and other aircraft parts	-	Nil	102;"
	chapter	imported into India under a transaction covered			
		by item 1(b) or 5(f) of Schedule II of the Central			
		Goods and Services Tax Act, 2017			

(ii) in the Annexure, after Condition No. 101, the following shall be inserted, namely:—

Condition No.	Condition	
"102	The importer, by the execution of bond, in such form and for such sum as may be specified by the Commissioner of Customs, binds himself,—	
	(v) to pay Integrated tax leviable under section 5(1) of the IGST Act, 2017 on supply of service covered by item 1(b) or 5(f) of Schedule II of the Central Goods and Services Tax Act, 2017;	
	(vi) not to sell or part with the goods, without the prior permission of the Commissioner of Customs of the port of importation;	
	(vii) to re-export the goods within 3 months from the expiry of the period for which they were supplied under a transaction covered by item 1(b) or 5(f) of Schedule II of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 out of India;	
	(viii) to pay on demand an amount equal to the integrated tax payable on the said goods but for the exemption under this notification in the event of violation of any of the above conditions.".	

[F. No. 354/134/2017-TRU] PRAMOD KUMAR, Dy. Secy.